

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग-2
संख्या-439/v-2/2018-79(आ0)/2018 टी0सी0
देहरादून: दिनांक 13 मार्च, 2018
अधिसूचना

राज्यपाल, भूसंपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम-2016 (अधिनियम संख्या-16 सन् 2016) की धारा-20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये "उत्तराखण्ड भूसंपदा नियामक प्राधिकरण" ज्ञात नाम से गठित प्राधिकरण को उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अमित सिंह नेगी
सचिव

संख्या- 439/v-2/2018-79(आ0)/2018 टी0सी0 -तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर स्थानीय आयुक्त, नई दिल्ली।
4. मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक शहरी विकास, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।
9. सचिव, साडा देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. रेरा सैल, कार्यालय परिसर उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, राजीव भवन देहरादून।
12. अपर निदेशक, राजकीय प्रेस, रुडकी को उक्त अधिसूचना को परिनियतन भाग में प्रकाशित करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
13. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव